संख्या- 9/2015/चालीस-15-27(75)/84टी0सी0

प्रेषक,

अशोक कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 4160/एकीकरण/ 2014-15, दिनांक 20 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू, वाचनालय, प्रालेख्य केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रूपये 7,50,000/(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई 2014 के प्रस्तर-11 में निहित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं;-

1- धनराशि का आहरण एवं व्यय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की अधिसूचना सं0-822/चालीस-14-27(75)/84, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अकादमी नियमावली में उल्लिखित अनुदान की शर्तो का पालन कर रही है। इस हेतु वित्त विभाग के संगत नियमो/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2- मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्था को स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति हो।

3- संस्था को स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ कोषागार से आहरित करेंगे तथा संस्था को धनराशि भुगतान करने से पूर्व संस्था से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संस्था द्वारा उसी प्रयोजन हेतु आलोच्य वर्ष में किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है, और न ही प्राप्त करेगा।

4- धनराशि आहरण के उपरान्त कोषागार से धनराशि निकालने की वाउचर सं0 व दिनांक तथा संस्था को भुगतान किए जाने की तिथि से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

5- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि 31 मार्च, 2015 तक व्यय हो सके।

6- अकादमी को स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अगामी वित्तीय वर्ष् 2015-16 में अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय'-व्ययक की अनुदान सं0-53 के लेखाशीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-9-116/दस-2015, दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

संख्या-9/2015/(1)/चालीस-2015-27(75)/84 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ/ मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
3- महालेखाकार (लेखा'-परीक्षा) -1, उ0प्र0 , इलाहाबाद, स्वा0 नि0, 2(सी) अनुभाग।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद/ लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अनुदान से सम्बन्धित लेखों का नियमानुसार आडिट कराकर आडिट रिपोर्ट की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8) सचिव, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ।
(9) बजट सहायक, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in